

## दुग्ध उत्पादकों का संघ, उड़ीसा और अन्य

बनाम

उड़ीसा राज्य एव अन्य

2 फरवरी, 2006

[एस. बी. सिन्हा और पी. के. बालासुब्रमण्यन, न्यायमूर्तिगण]

सरकारी भूमि का अतिक्रमण-अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास-अभिनिर्णीत: ऐसी कोई कानूनी अवधारणा मौजूद नहीं है जो अतिक्रमणकर्ता को पुनर्वास का कानूनी अधिकार प्रदान करती है- हालाँकि, मामला अलग हो सकता है जहाँ राज्य एक नीतिगत निर्णय लेकर आता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 में परिकल्पित संवैधानिक योजना को पूरा करता है।

सरकारी भूमि- दूध का व्यवसाय करने वाले लोगो द्वारा अतिक्रमण-मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पुनर्वास योजना - हालांकि वैकल्पिक भूखंड के प्रस्ताव के बिना बेदखली की मांग की, औचित्य- अभिनिर्णीत: पुनर्वास योजना को स्पष्ट रूप से बदल दिया गया था- यह इस गलत दृष्टिकोण पर आधारित था इसमें नामित गांव मास्टर प्लान से बाहर थे, लेकिन चूंकि वे वास्तव में इसमें शामिल थे, इसलिए पुनर्वास नहीं किया जा सका-न तो अतिक्रमणकारियों को कानूनी अधिकार देने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया गया और न ही संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में कोई

अधिसूचना जारी की गई- इसके अलावा राज्य की कार्यकारी कार्यवाही को वैधानिक योजना का मार्ग प्रशस्त करना पड़ा जिसने शहर की परिधि के भीतर डेयरियों/गौशालाओं को प्रतिबंधित कर दिया, और इस दृष्टिकोण में, प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत भी लागू नहीं था-यह सारहीन था कि अतिक्रमणकारी उस वैकल्पिक भूखंड के लिए भुगतान करने के लिए तैयार थे जो उन्हें पुनर्वास योजना में आवंटित किया जा सकता है और यह स्वयं उन्हें पुनर्वास का कानूनी अधिकार नहीं दे सकता -उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003।

अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी-राज्य की राजधानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके दूध का व्यवसाय किया। उन्हें उन जमीनों से बेदखल करने के लिए, प्रत्यर्थी राज्य के मुख्यमंत्री ने कथित रूप से उनके पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई। हालाँकि, पुनर्वास के लिए चुने गए गाँवों को इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। चूंकि अपीलार्थीगण को वैकल्पिक भूखंडों की पेशकश के बिना बेदखल करने की मांग की गई थी, इसलिए उन्होंने इसे चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुनर्वास अपीलार्थीगण को बेदखल करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं हो सकता है और प्रत्यर्थी कानून के अनुसार इसके साथ आगे बढ़ने का हकदार है।

इसलिए वर्तमान अपील पेश हुयी।

अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि (i) प्रत्यर्थीगण का नीतिगत निर्णय कि उनके निष्कासन पर उनका पुनर्वास किया जाएगा, का पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब, जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में यह तर्क नहीं दिया गया था कि उक्त निर्णय अव्यवहारिक हो गया था; (ii) यदि पुनर्वास योजना के तहत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाये तो वे राज्य की राजधानी से बाहर जाने के लिए तैयार थे, और इसके लिए वे आवंटित किये जाने वाले भूखंड के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक थे।

प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि (i) मुख्यमंत्री ने अपीलार्थियों के पुनर्वास के लिए अपने पूर्व के नीतिगत निर्णय को बदल दिया है - क्योंकि यह इस तथ्य के मद्देनजर अव्यवहारिक हो गया है कि गाँवों में भूमि के भूखंड जहां पुनर्वास किया जाना था, मुकदमेबाजी में और राज्य की राजधानी के मास्टर प्लान 1982 में शामिल पाये गये थे; (ii) उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003 में संशोधनों को देखते हुए राज्य की राजधानी के भीतर मवेशियों को रखने की अनुमति नहीं थी और इसलिए अपीलार्थीगण को अपने कब्जे वाली भूमि को खाली करना होगा।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. पहले के नीतिगत निर्णय को बदल दिया गया था, हालांकि ऐसा करने का निर्णय कोई अन्य नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता है। यह स्वयं

मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वर्ष 1994-95 में अपीलार्थी के सदस्यों के पुनर्वास के बारे में सोचा था। सही या गलत, इसे प्रभाव में नहीं लाया गया। इसके अलावा राज्य इस गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि उसमें नामित गाँव मास्टर प्लान से बाहर हैं और उक्त गाँवों में पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा सकता है। उक्त गाँव, अतिक्रमण और अन्य मुकदमों के अधीन होने के अलावा, भुवनेश्वर के मास्टर प्लान के भीतर होने के कारण, कोई पुनर्वास कार्यक्रम नहीं चलाया जा सका। ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है जिससे अपीलार्थियों को कानूनी अधिकार मिल सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। सरकार की ओर से आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित नोट शीट से आया था जिसके आधार पर राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में रुख अपनाया। जाहिर है, इस मामले पर नए सिरे से विचार किया गया है और इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। इस पर सहमत होने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि वह पहले के वादे, यदि कोई हो, से स्पष्ट रूप से मुकर गया है। इसके अलावा, राज्य की ओर से एक कार्यकारी कार्यवाही को भी वैधानिक योजना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। चूंकि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, के कारण शहर की परिधि के भीतर, डेयरी या गौशालाओं का रख रखाव नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य उसमें उल्लिखित गाँवों में उनके पुनर्वास की अपनी पूर्व योजना का पालन करने का हकदार नहीं होगा। [1037 - बी, सी, डी, ई, एफ]

2. यह सच हो सकता है कि अपीलार्थी सं. 1 संघ के सदस्य भूखंड के लिए भुगतान करने के लिए तैयार थे। लेकिन, केवल इसलिए कि वे उस भूखंड के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो उन्हें आवंटित किया जा सकता है, इससे उन्हें पुनर्वास का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसी कोई कानूनी अवधारणा मौजूद नहीं है जो किसी अतिक्रमणकारी को पुनर्वास का कानूनी अधिकार प्रदान करती हो। मामला अलग हो सकता है जहां राज्य एक नीतिगत निर्णय लेता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 में परिकल्पित संवैधानिक योजना को पूरा करता है। मौजूदा मामले में, अपीलार्थीगण ऐसी किसी भी योजना के अस्तित्व को दिखाने में विफल रहे हैं, जिसे प्रकृति में अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है। 2003 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का भी कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। [1037 - ए, जी, एच]

3. सभ्य समाज में, नगर नियोजन निर्विवादित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियोजित विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा ऐसे नगर नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक बाधा डालता है। [1034 - एफ]

मित्र कॉलोनी विकास समिति बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य, [2004] 8 एस. सी. सी. 733, एन. डी. जायल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2004] 9 एस. सी. सी. 362 और सुशांत टैगोर और

अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [2005] 3 एस. सी. सी. 16, पर विश्वास किया गया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 940/2006

उड़ीसा उच्च न्यायालय के सिविल ओ. जे. सी. सं. 1325 और 2956/1997.दिनांक 8.4.2004 में निर्णय और आदेश से

बी. ए. मोहंती, ममता त्रिपाठी और अशोक माथुर, अपीलार्थीगण की ओर से

मोहन परासरन, ए. एस. जी., अमित दयाल, श्रीमती अनिल कटियार जनरंजन दास, श्वेतकेतू मिश्रा और एस. बी. उपाध्याय, प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

सभी एस. एल. पी. में अनुमति दी गई।

यहां अपीलार्थीगण दूध का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भुवनेश्वर शहर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। उड़ीसा राज्य का इरादा उन्हें बेदखल करने का था। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर उनके पुनर्वास के लिए एक योजना विकसित की। ऐसे पुनर्वास कार्य के लिए चयनित किये गये गांव इसके लिए उपयुक्त नहीं पाये गए। चूंकि उन्हें वैकल्पिक भूखंड दिए बिना बेदखल करने की मांग की गई

है, इसलिए अपीलार्थीगण ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। रिट याचिकाओं में अन्य बातों के साथ यह कहा गया था:

"4. चूंकि इनमें से अधिकांश याचिकाकर्ता समाज के गरीब तबके से हैं।इसलिए उनके पुनर्वास पर वर्ष 1987 से उच्चतम स्तर पर को अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया गया है। दिनांक 01.06.1987 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भुवनेश्वर शहर में संचालित गवालाओं के ऐसे पुनर्वास के लिए स्थलों का चयन एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें पशु चिकित्सा सेवा निदेशक; ओ. एम. एफ. ई. डी के प्रतिनिधि; ए. डी. एम., भुवनेश्वर; एस. डी. ओ., भुवनेश्वर और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 1.6.87 को आयोजित बैठक का विवरण मुख्य सचिव, सचिव, वित्त विभाग, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, वन और पशुपालन विभाग, सचिव, राजस्व विभाग, सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, उपाध्यक्ष, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण आदि को जरिए पत्र क्रमांक 9838/ सी. ए., दिनांक 14.7.87 सामान्य प्रशासन

विभाग सरकार के संयुक्त सचिव उड़ीसा सरकार और संपदा के पदेन निदेशक द्वारा भेजा गया।

5. कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार, स्थल चयन समिति की बैठक 11.6.87 को हुई और सिफारिश की गई कि दूधवाले / याचिकाकर्ता संख्या 2 से 240 जैसे निजी दूध उत्पादकों को प्रताप सासन, तुलसादेईपुर और जमुकोली में बसाया जाये।

6. 1989 के दौरान, सरकार ने इस आशय का प्रेस व्यक्तव्य दिया कि सरकार ने पुनर्वास की योजना तैयार की है जो इस प्रकार है:

(क ) सरकारी भूमि बमाप 40 गुणा 30 का आवंटन प्रीमियम से मुक्त

(ख) डिसटरबेन्स (अशान्ति ) भत्ते का भुगतान 500 /- रूपये

(ग) 3000 रूपये का नए स्थल पर आवास के लिए दो किस्तों में निर्माण सहायता का भुगतान।

(घ) प्रत्येक ग्वाला परिवार के व्यक्तिगत सामान का निःशुल्क परिवहन।

(ङ) नए स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था।



(च) आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए नए स्थल पर उचित मूल्य की दुकान खोलना।

(छ) चारा बिक्री केंद्र खोलना ।

(ज) ओ. एम. एफ. ई. डी. द्वारा ग्वाला से दूध का संग्रह करना, जो इसे नए स्थल पर दूध बेचना चाहते हैं

(i) नए स्थल पर चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं।

7. इन सारी कवायदों के बावजूद इस मामले में कुछ नहीं किया गया। बाद में याचिकाकर्ताओं को पता चलता है कि पत्र सं. विविध-बी. पी. -126/932240/बीपी/बीडीए भुवनेश्वर, 7.4.94, के माध्यम से सलाहकार- सह- योजना सदस्य ने संपदा निदेशक को लिखा था कि पंडारा की साइट पर पास में पानी की उपलब्धता और मवेशियों की आवाजाही के लिए खुली जगह होने के कारण पुनर्वास के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होती हैं। बदले में संपदा

निदेशक ने भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र दिनांकित 03.09.94 के माध्यम से सूचित किया कि सरकार ने पहले ही मौजा पंडारा, गकाना, पत्रपाड़ा और जोकलैंडी में ग्वालाओं के पुनर्वास का निर्णय ले लिया है। संपदा निदेशक ने भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण से ग्वालाओं

के पुनर्वास के उद्देश्य से उपरोक्त क्षेत्र में भूखण्ड बनाने का अनुरोध किया। इस प्रकार, हालांकि सरकार ने पुनर्वास के लिए चयनित स्थलों को एकतरफा रूप से बदल दिया, याचिकाकर्ताओं ने सरकार की ऐसी कार्रवाई का स्वागत किया।

8. अनुलग्नक-2 के तहत अनुरोध के अनुसार, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के सलाहकार- सह योजना सदस्य ने पत्र सं. 5615/बी/बी.डी. ए./विविध- बी.पी.-176/93 भुवनेश्वर, 5.10.94 के माध्यम से संपदा निदेशक को सूचित किया गवाला परिवार के लिए आवश्यक इष्टतम भूखण्ड आकार के निर्धारण के बाद मौज़ा गडकाना, पंडारा, पत्रपाड़ा और जोकलैंडी में संबंधित भूमि की लेआउट योजनाएँ तैयार की गयी हैं। निर्धारित भूखंड का आकार 30 'x 60' निर्धारित किया गया था। उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक भूखंड में 11 से 12 गायों का एक शेड, 484 वर्ग फुट के प्लिंथ क्षेत्र के साथ एक आवासीय इकाई, गोबर फेंकने और गोबर गैस संयंत्र के लिए जगह होगी। पत्र दिनांकित 5.10.94 की प्रति संपदा निदेशक की अभिरक्षा में है। अंततः, 1995 के दौरान गरकाना, पंडारा, पत्रपाड़ा और

जोकलैंडी गाँवों में ग्वालाओं को आवंटन के लिए 432 भूखंड बनाए गए।

9. याचिकाकर्ता समझते हैं कि 2.9.95 को, संपदा निदेशक ने योजना सदस्य, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर नगर निगम व उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड के अधिकारी की उपस्थिति में ग्वालाओं के तत्काल पुनर्वास के लिए आगे की बैठक आयोजित की। हालांकि उक्त बैठक में भुवनेश्वर के ग्वालाओं को पंडारा, गडकाना, जोकलैंडी और पत्रपाडा, में तुरन्त पुनर्वासित करने का निर्णय लिया गया परन्तु आज तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया है।”

जवाबी हलफनामों में उक्त बयानों का खंडन या विवाद नहीं किया गया, जैसा कि उसके पैराग्राफ 7 से ज्ञात होता है, जो इस प्रकार है:

“कि पैरा-4 से 9 में किए गए अभिकथनों के संबंध में, यह कथन किया गया है कि पुनर्वास योजना ग्वालाओं के सक्रिय विचार के लिए प्राप्त हुई है। यह कथन किया गया है कि वर्तमान दुग्ध उत्पादक संघ और उत्कल जयदेव महासंघ ने उनके पुनर्वास के लिए प्रार्थना की है। 2.9.1995 को आयोजित बैठक में, दुग्ध उत्पादक संघ के सदस्यों ने कहा कि यदि उनका पुनर्वास गांव पंडारा में किया जाता है तो

उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बीच, सरकार ने याचिकाकर्ताओं को पंडारा मौजा में पुनर्वासित करने का निर्णय लिया है और तदनुसार उक्त उद्देश्य के लिए बमाप 28.180 एकड भूमि को चिन्हित किया गया है। तदनुसार, बी. डी. ए. ने एक योजना तैयार की है और सरकार ने याचिकाकर्ताओं/गवालाओं को 25'x40' आकार के भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया है। और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित दर पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि गाँव पंडारा में यह जमीन पर्याप्त नहीं पायी जाती है तो उनके पुनर्वास के लिए पत्रपाड़ा, जमुकोली और जोकलैंडी गाँव में कुछ भूखण्ड आवंटित किये जा सकते हैं।”

हमारे सामने अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि उन्हें भुवनेश्वर शहर से बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें पुनर्वास योजना के तहत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसके लिए वे भूखंड के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, जो आवंटित किया जा सकता है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का तर्क है कि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों और मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण को उनके कब्जे वाली भूमि खाली करनी होगी। राज्य का आगे तर्क यह है कि बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि स्वच्छता और अन्य कारणों

से, भुवनेश्वर के नियोजित क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांवों में उनका पुनर्वास करना संभव नहीं है। यह कहा गया था कि अपीलार्थी संख्या 1 संघ के सदस्य गरीब नहीं हैं और विशेष अनुमति के लिए याचिका में उनके द्वारा किए गए दावे को देखते हुए कि वे भुवनेश्वर के निवासियों को लगभग 10,000 लीटर दूध का उत्पादन और आपूर्ति करते हैं, स्थापना और रखरखाव शुल्क के लिए कुल आय का 50 प्रतिशत काटने के बाद, उनकी औसत पारिवारिक आय लगभग रु 1,85,950 / होगी और उनमें से कुछ के पास भुवनेश्वर शहर में अपनी जमीन और घर हैं।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. ए. मोहंती ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा राज्य एक नीतिगत निर्णय लेकर आया था कि उनके निष्कासन पर अपीलार्थीगण का पुनर्वास किया जाएगा। इसका कोई कारण नहीं है कि ऐसे नीतिगत निर्णय का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन किया गया कि, यहां तक कि राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष भी यह तर्क नहीं दिया गया था कि उक्त नीतिगत निर्णय अव्यवहारिक हो गया था और इस मामले को ध्यान में रखते हुये उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित संप्रेक्षण किया गया।

"..... राज्य सरकार को भुवनेश्वर शहर के ग्वालाओं के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने दें। सरकार पुनर्वास के

लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं हो सकती है। सरकार कानून के अनुसार ग्वालाओं को बेदखल करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।”

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय के फैसले के केवल उस भाग के विरुद्ध अपीलार्थीगण हमारे समक्ष हैं।

दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता श्री जनरंजन दास, ने तर्क दिया कि यदि मुख्यमंत्री पहले के नीतिगत निर्णय के लेखक थे, तो उन्होंने उससे इन्कार कर दिया है, जैसा कि दिनांक 18.10.2005 की नोटशीट से पता चलता है।

श्री दास द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी संख्या 1 संघ के सदस्य गरीब लोग नहीं हैं इसलिए वे किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, यह निवेदन किया गया कि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम में हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, अब भुवनेश्वर शहर के भीतर मवेशियों को रखने की अनुमति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने समक्ष किए गए अभ्यावेदनों को देखते हुए एक नीतिगत निर्णय लिया कि अपीलार्थी संख्या 1 संघ के सदस्यों को कुछ गाँवों और विशेष रूप से, पंडारा, पत्रपाड़ा, गडकाना और जोकलैंडी के गाँवों में पुनर्वासित किया जायेगा; लेकिन बाद में यह पता

चला कि उपरोक्त सभी गाँव 1982 से मास्टर प्लान के अन्तर्गत हैं। स्वीकृत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष, एक नोटशीट पेश की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था:

"(ग) मौजा पंडारा में चिन्हित किये गये बमाप क्षेत्र 16.120 एकड मे पी. 25/एन के पैरा 4 (ई) में उल्लिखित के अलावा कई अतिक्रमण हुए हैं। इसमें 4,084 एकड का क्षेत्र है। यह क्षेत्र 2001 के ओ. जे. सी. सं. 13516/2001 (लक्ष्मीधर भोई और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य) के तहत न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ) उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया है जो परिसर में जानवरों को रखने पर प्रतिबंध लगाता है जो किसी व्यक्ति के लिए उपताप (न्यूसेंस) या खतरा हो, इसके अलावा गायों और भैंसों को भुवनेश्वर शहर की सीमा के भीतर रखने के संबंध में अन्य कठोर शर्तें हैं।"

श्री दास ने कथन किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये भूखंड अतिक्रमण और अन्य मुकदमों से मुक्त नहीं थे, उक्त नोटशीट में बताये गये कारणों के अनुसार ग्वालाओं का पुनर्वास राज्य के लिए एक अव्यावहारिक प्रस्ताव बन गया।

इससे पहले कि हम पक्षकारों द्वारा उठाए गए विरोधी तर्कों पर ध्यान दें, हम बता दें कि उक्त नोटशीट की एक फोटोप्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सौंपने का निर्देश दिया गया था और पूरे अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थीगण ने उक्त अभिलेख के निरीक्षण के बाद एक हलफनामा दायर किया है जिसमें तर्क दिया गया है कि राज्य द्वारा पहले के नीतिगत निर्णय से पीछे हटने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और केवल इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे की पुष्टि करने के लिए निर्णय लिया गया है कि अपीलार्थी सं. 1 संघ के सदस्यों का पुनर्वास करना संभव नहीं है।

उक्त नोटशीट के पैराग्राफ 8(ए), 8(डी), 8(ई), 8(एफ), 9 और 10 पढ़े गए हैं। जो निम्नानुसार हैं-

"(ए) वर्ष 2005 में 8.5 लाख की आबादी के बीडीए अनुमान के साथ भुवनेश्वर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। ग्वालाओं के कारण होने वाले स्वास्थ्य और यातायात परिसंकटों को रोकने की आवश्यकता है। इस संबंध में नये उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003, में विशिष्ट और कड़े प्रावधान हैं।

(डी) भुवनेश्वर के मास्टर प्लान के भीतर ग्वालाओं का पुनर्वास



उड़ीसा नगर निगम अधिनियम 2003, के साथ-साथ अन्य पर्यावरण कानूनों की भावना के विरुद्ध होगा।

(ई) मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर कोई गाँव भी स्थित नहीं है या चिन्हित नहीं किया गया है और न ही सरकारी भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवहार्यता को देखा गया है।

(एफ) पुनर्वास के मामले में गैर-भेदभावपूर्ण उपचार प्रदान करने का भी मुद्दा है। किसी भी स्तर पर सरकार द्वारा सभी ग्वालाओं के पुनर्वास के लिए पूरी योजना तैयार नहीं की गई है और ना ही इसे संभव होना पाया गया है। दूसरी ओर, ग्वालाओं के नाम पर भुवनेश्वर शहर में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं जैसा कि एसएलपी से ही स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता ने एसएलपी में उल्लेख किया है कि 1000 परिवार हैं, जो प्रभावित होंगे। हालांकि सर्वेक्षण के बिना इन आंकड़ों की पुष्टि करना संभव नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भुवनेश्वर शहर में ग्वालाओं की समस्या और बढ़ गई है क्योंकि 1994 में 686 ऐसे ग्वालाओं की पहचान की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई निर्णय दिये गये हैं जहां यह

अभिनिर्धारित किया गया है कि अतिक्रमण पर कोई प्रीमियम नहीं लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के ओ.जे.सी 2312/89 में एक आदेश पारित किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि "पुनर्वास योजना न तो कानून की आवश्यकता है और न ही अतिक्रमणकारियों या सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए अनिवार्य पूर्ववर्ती शर्त है।

09 उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित हो सकता है कि सरकार ग्राम पंडारा, जो कि भुवनेश्वर नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, में गवालाओं के पुनर्वास के संबंध में अपने पहले के निर्णय की समीक्षा ना केवल व्यावहारिक क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को बल्कि 2002 में सरकार के पहले निर्णय के बाद उड़ीसा नगर निगम अधि० 2003 के तहत आने वाली कठोर आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए करे।

10. पशुपालन का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके लिए भूमि, पानी के तालाब, मुक्त आवाजाही की जगह और कृषि के साथ अन्य संपर्कों की उपलब्धता की

आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है और यातायात की समस्याएं गंभीर हैं, यह व्यवसाय एक लोक उपताप (न्यूसेंस) और स्वास्थ्य और यातायात के लिए खतरा बन गया है। भुवनेश्वर के लिए दूध की आपूर्ति पर्याप्त है। शहरी इलाकों में लोग स्वच्छ परिस्थितियों में दूध खरीदते हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलन और पाशुरीकरण संयंत्रों पर पर्याप्त निवेश के साथ बड़ी डेयरी गतिविधि को अलग से बढ़ावा दिया है, जहां से शहर को बिना किसी कठिनाई के आसानी से दूध की आपूर्ति मिलती है। ग्वाले, जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं और पहले से स्थापित संपर्कों के माध्यम से दूध की आपूर्ति करते हैं। पशुपालन विभाग का भी समान दृष्टिकोण है, जो उनके हलफनामे में परिलक्षित होता है।”

निर्विवादित रूप से, उक्त प्रस्ताव को मुख्यमंत्री का समर्थन मिला इसके अनुसरण में या इसे आगे बढ़ाने के लिए, उड़ीसा राज्य की ओर से हमारे सामने एक हलफनामा पहले दायर किया गया है। जिसमें यह कहा गया है:

"5. वर्तमान परिस्थितियों में ग्वालाओं के लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया है। केवल कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए भूखंड बनाने का पूर्ववर्ती सरकार का प्रयास उपरोक्त, पैरा 3 में उल्लिखित कारणों से सफल नहीं हो सका। दूसरी ओर "ग्वालाओं" के नाम पर भुवनेश्वर शहर में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, जैसा कि विशेष अनुमति याचिका से ही स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ताओं ने विशेष अनुमति याचिका में उल्लेख किया है कि 1000 दूधवाले परिवार हैं, जो प्रभावित होंगे। हालाँकि सर्वेक्षण के बिना इन आंकड़ों की पुष्टि या खंडन करना संभव नहीं है, यह स्पष्ट है कि भुवनेश्वर शहर में ग्वालाओं द्वारा अतिक्रमण की समस्या केवल बड़ी है। उदाहरण के लिए, 1994 में, एक सर्वेक्षण में केवल 686 ऐसे 'ग्वाला परिवारों' की पहचान की गई थी।

7. पशुपालन का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा क्योंकि इसके लिए भूमि, पानी के तालाब, मुक्त आवाजाही की जगह और कृषि के साथ अन्य संपर्कों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्रों में जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है और यातायात की समस्याएँ गंभीर हैं, यह व्यवसाय लोक उपताप (न्यूसेन्स) और स्वास्थ्य और यातायात के लिए खतरा बन जाता है। भुवनेश्वर के लिए दुध की आपूर्ति पर्याप्त है। शहरी क्षेत्रों में लोग स्वच्छ परिस्थितियों में दूध खरीदते हैं,

सरकारो ने ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलन और पाश्चुरीकरण संयंत्रों पर पर्याप्त निवेश के साथ बड़ी डेयरी गतिविधि को अलग से बढ़ावा दिया है, जहां से शहर को बिना किसी कठिनाई के आसानी से दूध की आपूर्ति मिलती है। ग्वालें, जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित होने की व्यवस्था करनी चाहिए और पहले से स्थापित संपर्कों के माध्यम से दूध की आपूर्ति करनी चाहिए।

पूर्व पदों में प्रस्तुत तथ्य और परिस्थितियों के कारण सरकार का उन ग्वालाओं का पुनर्वास करने का इरादा नहीं है, जो सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं।

आगे यह भी तर्क दिया गया है कि ग्वालाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण से भुवनेश्वर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य और यातायात संबंधी खतरा पैदा हो गया है और तथ्य यह है कि अन्य अतिक्रमणकारियों ने भी पुनर्वास पैकेज की मांग करना शुरू कर दिया है, राज्य यह नहीं कर सकता कि पुनर्वास के विशेष कार्यक्रम अतिक्रमणकारियों के एक वर्ग के लिए लागू हो और अन्य वर्गों के लिए नहीं। अभिलेखों से पता चलता है कि उड़ीसा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (ओ. एम. एफ. ई. डी.) अस्तित्व में आ गया था। यह भुवनेश्वर शहर के निवासियों की दूध की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में भी है। ओ. एम. एफ. ई. डी.

गवालाओं से दूध लेने के लिए तैयार है, यदि वे निकटतम दूध उत्पादक सोसायटी, जिला दुग्ध उत्पादक संघ के सदस्य बन जाते हैं और यदि वे भुवनेश्वर शहर से बाहर चले जाते हैं तो क्षेत्र के नजदीक मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से मवेशियों के लिए चिकित्सा सुविधा के साथ चारा उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं हो सकती है। आगे यह भी अभिलेख पर लाया गया है कि सभी दूधवाले आर्थिक रूप से मजबूत हैं:

“..... जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में स्वीकार किया गया है कि प्रतिदिन दूध का उत्पादन लगभग 50,000 लीटर है और उड़ीसा शहर के सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 687 गवालाओं के परिवार भुवनेश्वर शहर में रहते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार की प्रति वर्ष आय लगभग रु। 3,71,910.00 (50,000 लीटर/687 परिवार x 365 x रु. 14.00 प्रति लीटर) होती है। कुल आय में से स्थापना और रखरखाव शुल्क के लिए 50 प्रतिशत की कटौती के बाद प्रति परिवार शुद्ध वार्षिक आय लगभग 1,85,950.00 आती है। इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सभी गवाला आर्थिक रूप से गरीब हैं। दूसरी ओर, इस माननीय न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया है कि लगभग 30

गवाला परिवार काफी अमीर हैं और अब उनके पास भुवनेश्वर शहर में अपनी जमीन और भवन है।”

राज्य ने वर्ष 2003 में उड़ीसा नगर निगम अधिनियम लागू किया है। जिसके सुसंगत उपबंध निम्नानुसार हैं:

“409.(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक सड़क पर किसी भी जानवर को नहीं बांधेगा। (2) यथा उपर्युक्तानुसार बंधे हुए किसी भी जानवर को आयुक्त या किसी निगम अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हटाया जा सकेगा और किसी पुलिस अधिकारी को सौंपा जा सकेगा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाया जा सकेगा, वह आवारा घूमते हुए पाए गये जानवरों के मामले में व्यवहार्य कार्यवाही करेगा।”

“543. (1) कोई भी व्यक्ति-

(क) आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना या ऐसी अनुज्ञा की शर्तों के अनुरूप, शहर के किसी भी हिस्से में सूअर नहीं पालेगा।

(ख) किसी भी ऐसे जानवर को अपने परिसर में नहीं रखेगा जिससे किसी व्यक्ति को उपताप (न्यूसेंस) या खतरा हो।

(ग) किसी भी जानवर को मलमूत्र, गोबर, अस्तबल का कचरा या अन्य गंदे पदार्थ नहीं खिलाएगा और ना ही खिलाने या उसे पीड़ित करने या खिलाये जाने की अनुमति देगा।”

"548. कोई भी व्यक्ति-

(क) किसी भी टैंक, जलाशय, जलधारा, कुएँ या खाई में किसी भी जानवर, वनस्पति या खनिज पदार्थ को नहीं डालेगा, जिससे कि उस पानी की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना हो,

(ख) किसी भी संक्रामक, सांसर्गिक या किसी घृणित बीमारी से ग्रसित होते हुए, किसी स्नान करने के स्थान, झील टैंक, जलाशय, झरना, प्रणालिका, स्टैंड पाईप, जलधारा या कुएँ पर या उसके नजदीक स्नान नहीं करेगा।"

उक्त अधिनियम में निम्नलिखित रूप से दंडात्मक उपबंध भी सम्मिलित है:

"652. जो कोई किसी मामले में, जिसे इस अधिनियम द्वारा कोई शास्ति स्पष्टतः उपबंधित नहीं की गयी है, उसके किसी उपबंध के अधीन जारी की गयी किसी सूचना, आदेश या अध्यापेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अन्याय उल्लंघन करता है वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, और जहां विफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात



ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।”

भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। जैसा कि राज्य की ओर से दायर किए गए हलफनामों में कहा गया है कि अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। यह कानून भुवनेश्वर शहर में या उसके आसपास गौशालाओं या डेयरियों के रखरखाव को भी प्रतिबंधित करता है। 1982 में तैयार किया गया भुवनेश्वर का मास्टर प्लान लागू है। इसके दायरे में न केवल भुवनेश्वर शहर आता है, बल्कि कई अन्य गाँव भी आते हैं। सभ्य समाज में, नगर नियोजन निर्विवादित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियोजित विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा ऐसे नगर नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक बाधा डालता है।

यह प्रश्न फ्रेंड्स कॉलोनी विकास समिति बनाम उड़ीसा राज्य व अन्य ,[2004] 8 एस. सी. सी. 733 में विचार के लिए आया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा:

"सभी विकसित और विकासशील देशों में - शहरों के योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया जाता है जिसे क्षेत्रनिर्धारण (जोनिंग)योजना और भवन निर्माण गतिविधि को विनियमित करके प्राप्त जाता है। ऐसी योजना बनाना, हालांकि अत्यधिक

जटिल है, यह वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन और अनुभव पर आधारित मामला है जो कि विधायी अधिनियमों और बनाए गए नियमों और विनियमों के माध्यम से कानूनों को युक्तिसंगत बनाता है। क्षेत्रीयकरण और योजना के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत संपत्ति के मालिकों को कठिनाई होती क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता, विनियमन और नियंत्रण के अधीन है। निजी मालिकों को कुछ हद तक उनकी संपत्ति का सबसे अधिक लाभदायक उपयोग करने से रोका जाता है। लेकिन केवल इसी कारण से नियंत्रण विनियमों को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। निजी हित सार्वजनिक हित के अधीन है। इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि शहर के विकास की योजना बनाने और निर्माण गतिविधि को विनियमित करने की शक्ति राज्य की पुलिस शक्ति से आती है। ऐसी सरकारी शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता या सामान्य कल्याण और पारिस्थितिक विचारों के लिए उचित रूप से आवश्यक होने के कारण न्यायोचित है। हालांकि संपत्ति के निजी स्वामित्व के साथ अनावश्यक या अनुचित हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

भवन निर्माण गतिविधि को विनियमित करने वाले नगरपालिका कानून, फर्श क्षेत्र, मंजिलों की संख्या, ऊंचाई में वृद्धि की सीमा और किसी विशेष क्षेत्र में निर्मित संपत्ति के उपयोग की प्रकृति के विनियमों का प्रावधान कर सकते हैं। संपत्ति के मालिकों के रूप में व्यक्तियों को शांति, अच्छी व्यवस्था, गरिमा, सुरक्षा और आराम और समुदाय की सुरक्षा के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ना केवल गंदगी, बदबू और अस्वास्थ्यकर स्थानों को समाप्त करना होगा , बल्कि इलाके को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए लेआउट पारिवारिक मूल्यों, युवा मूल्यों, एकांत और स्वच्छ हवा को प्राप्त करने में मदद करता है। भवन निर्माण नियम आग के खतरों को कम करने या समाप्त करने, यातायात खतरों से बचने में और गलियों व सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करते हैं। क्षेत्र निर्धारण (जोनिंग) और भवन विनियमों को सामुदायिक विकास के नियंत्रण, भूमि की भीड़भाड़ की रोकथाम, उद्यान और खेल के मैदान जैसी मनोरंजक सुविधाओं, की व्यवस्था और पर्याप्त जल, मलजल निकासी (सीवरेज) और अन्य सरकारी या उपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भी वैध बनाया गया है।”

फिर से एन. डी. जायल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [(2004)9 एस. सी. सी. 362], में इस न्यायालय की एक 3-न्यायाधीश पीठ ने नोटिस किया कि वनस्पति और जीव, जल की गुणवत्ता का रखरखाव और स्वास्थ्य और पुनर्वास पर प्रभाव सहित कई कारक पारिस्थितिकी के रखरखाव के उद्देश्य से प्रासंगिक कारक हैं। पर्यावरण और विकास के अधिकारों के बीच सहजीवी संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास सिद्धांत के पालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, यह संप्रेक्षित किया गया:

"पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दूसरी ओर, विकास का अधिकार भी एक है। यहाँ "सतत विकास" का अधिकार अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, "सतत विकास" की अवधारणा को अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन" का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अंतर-पीढ़ीगत साम्य (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम. गणेश वुड प्रोडक्ट्स, पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत (एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ) और एहतियाती सिद्धांत (वेल्लोर नागरिक), जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिन्हें हमने हमारे पर्यावरण न्यायशास्त्र के अविभाज्य अवयवों के रूप में घोषित किया है, को केवल सतत विकास सुनिश्चित करके ही पोषित किया जा सकता है"

इस न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है:

"इस प्रकार अधिनियम के तहत शक्ति को केवल शक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है बल्कि यह कर्तव्य के साथ एक जुड़ी हुयी शक्ति है। अधिनियम के तहत शर्तों या निर्देशों की पूर्ति सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। सख्त अनुपालन के बिना, अनुच्छेद 21 के अधीन पर्यावरण के अधिकार की गारंटी नहीं दी जा सकती और अधिनियम का उद्देश्य भी विफल हो जायेगा। इसकी शर्तों के प्रति प्रतिबद्धता अनुच्छेद 21 और अधिनियम दोनों के तहत एक दायित्व है।"

हम यहाँ पहले भी नोटिस कर चुके हैं कि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का भी उद्देश्य भुवनेश्वर शहर के निवासियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना है।

सुशांत टैगोर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, [2005] 3 एससीसी 16 में इस न्यायालय द्वारा विश्व भारती अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की व्याख्या की गई थी, जिसे विश्व भारती विश्व विद्यालय की विशिष्टता, परंपरा और विशेषताओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए

अधिनियमित किया गया था। इसमें, इस न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि:

"यह सच हो सकता है कि शहर का विकास टाउन प्लानिंग अथोरिटी का काम है, लेकिन उसे कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। विकास प्रकृति में सतत होना चाहिए। भूमि उपयोग योजना न केवल 1979 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों को बल्कि उसके लिए अधिनियमित अन्य कानूनों के प्रावधानों और विशेष रूप से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए।

चूंकि विश्व-भारती को न केवल राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय होने का बल्कि एकात्मक विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, एसएसडीए को सलाह दी जाती है कि वह अधिनियम के प्रावधानों व उद्देश्य को, जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, साथ ही पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखे। यह सुई जेनरिस अद्वितीय है।"

श्री मोहंती अपने इस तर्क में सही हो सकते हैं कि केवल दिनांक 18.10.2005 की नोटशीट के कारण कोई नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन जाहिरा तौर पर इससे पहले के नीतिगत निर्णय को बदल दिया गया था। श्री दास ने हमारे सामने पूरे अभिलेख को रखा है। जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, उक्त अभिलेख अपीलार्थीगण को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए। इसमें ना तो संदेह है और ना ही इस बात पर विवाद है कि यह स्वयं मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने वर्ष 1994 - 95 में अपीलार्थी संख्या 1 संघ के सदस्यों के पुनर्वास के बारे में सोचा था।

सही या गलत, यह प्रभाव में नहीं लाया गया। इसके अलावा राज्य इस गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि उसमें नामित गाँव मास्टर प्लान से बाहर हैं और उक्त गाँवों में पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा सकता है। उक्त गाँव, अतिक्रमण और अन्य मुकदमों के अधीन होने के अलावा, भुवनेश्वर के मास्टर प्लान के भीतर होने के कारण, कोई पुनर्वास कार्यक्रम नहीं चलाया जा सका। ऐसा कोई नीतिगत निर्णय हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिससे अपीलार्थियों को कानूनी अधिकार मिल सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। सरकार की ओर से आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित नोट शीट से आया था जिसके आधार पर राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में रुख अपनाया। जाहिर है, इस मामले पर नए सिरे से विचार

किया गया है और इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। इस पर सहमत होने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि वह पहले के वादे, यदि कोई हो, से स्पष्ट रूप से मुकर गया है। इसके अलावा, राज्य की ओर से एक कार्यकारी कार्यवाही को भी वैधानिक योजना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। चूंकि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, के कारण शहर की परिधि के भीतर, डेयरी या गौशालाओं का रखरखाव नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में राज्य उसमें उल्लिखित गाँवों में उनके पुनर्वास की अपनी पूर्व योजना का पालन करने का हकदार नहीं होगा।

यह सच हो सकता है कि अपीलार्थी सं. 1 संघ के सदस्यों को प्लॉट के लिए भुगतान करना था। लेकिन, केवल इसलिए कि वे उस भूखंड के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो उन्हें आवंटित किया जा सकता है, हमारे विचार में उन्हें पुनर्वास का कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसी कोई कानूनी अवधारणा मौजूद नहीं है जो किसी अतिक्रमणकारी को पुनर्वास का कानूनी अधिकार प्रदान करती हो। मामला अलग हो सकता है जहां राज्य एक नीतिगत निर्णय लेता है। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 में परिकल्पित संवैधानिक योजना को पूरा करता है। मौजूदा मामले में, हमारा मानना है कि अपीलार्थीगण ऐसी किसी भी योजना के अस्तित्व को दिखाने में विफल रहे हैं, जिसे प्रकृति में अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है। 2003 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धान्त का भी कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।



उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ हमारे द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले आक्षेपित निर्णय को पारित करने में कोई अवैधता नहीं की है जिसके अनुसार राज्य अपीलार्थीगण को विधि अनुसार बेदखल करने के लिए आगे बढ़ने का हकदार होगा। उपरोक्त कारणों से अपीलें खारिज की जाती हैं। हालांकि इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल शुक्ला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।